न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1464–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–6–2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 862/बी–121/2014–15

श्रीमती कमलाबाई विधवा शंकरलालजी
निवासी जयवंतपुर तहसील व जिला
उज्जैन म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

रामभक्त शर्मा पिता स्व0 श्री भगवानसहाय शर्मा
निवासी गृह कं0 80 एल.आई.जी.–II इंदिरा नगर
उज्जैन म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री एस.एन.व्यास, अभिभाषक आवेदक
श्री मनीष मनाना, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक रामभक्त शर्मा ने तहसील न्यायालय में स्वयं को जयेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी दर्शित कर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 168 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 103 रकबा 12.864 हैक्टर का

आधिपत्य दिलवाये जाने की प्रार्थना की। उक्त आवेदन में चिंतामन के मृत वारिस कमलाबाई एवं शंकरलाल को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 862/बी–121/2014–15 पंजीबद्ध कर अनावेदकों को सूचना जारी करने के आदेश दिये। अग्रिम कार्यवाही में दिनांक 6–2–15 को अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदिका कमलाबाई की ओर से दिनांक 23–3–15 को संहिता की धारा 35(3) का आवेदन एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने बावत प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 01–6–2015 के द्वारा निरस्त किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध ही यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अंतिम निर्णय दिनांक 18–11–2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्थाई नाबालिग की ओर से आधिपत्य प्राप्ति की कार्यवाही किये जाने पर सर्वप्रथम कार्यवाही की पोषणीयता पर विचार किया जावेगा, किन्तु तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की पोषणीयता के संदर्भ में विचार किये जाने मान0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करते हुये अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी कर दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। यह भी तर्क दिया कि आवेदिका कमलाबाई जो कि एक वृद्ध महिला है के द्वारा आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि उसे तहसीलदार द्वारा जारी सूचना पत्र कभी प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु तहसीलदार ने आवेदिका का आवेदन पत्र अवैधानिक तरीके पर निरस्त कर दिया। तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार ने आवेदिका का धारा 35(3) का आवेदन निरस्त करने के उपरांत उसे कार्यवाही में शामिल कर लिया किन्तु एकपक्षीय किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त नहीं किया। प्रकरण में किसी प्रकार की दुविधा एवं अनावेदक किसी प्रकार का उक्त आदेश का लाभ न ले इसके लिए

आदेश दिनांक 01–6–2015 को निरस्त किया जाना आवश्यक है तथा आवेदिका को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाना आवश्यक है जिससे बेवजह लेखीय विरोध न हो। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदिका को तहसील न्यायालय से विधिवत सूचना जारी किया गया था। आवेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। यह भी तर्क दिया कि आवेदिका के आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार ने आवेदिका को फिर से कार्यवाही में शामिल कर लिया है इसलिए निगरानी का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों का अवलोकन किया। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण आवेदिका के विरूद्ध दिनांक 6–2–15 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदिका कमलाबाई की ओर से दिनांक 23–3–15 को संहिता की धारा 35(3) का आवेदन एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किया जिसे नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 01–6–2015 के द्वारा निरस्त किया। जबकि अग्रिम पेशी दिनांक 5–6–15 को आवेदिका को कार्यवाही में शामिल किया किन्तु पूर्व के एकपक्षीय आदेश दिनांक 01–6–2015 पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है। स्पष्ट है नायब तहसीलदार द्वारा प्रकियात्मक त्रुटि की है। अतः चूंकि आवेदिका को नायब तहसीलदार ने न्यायालय की कार्यवाही शामिल कर लिया है इसलिए अब विचाराधीन आदेश दिनांक 01–6–2015 को यथावत रखने से प्रकियात्मक त्रुटि शेष रह जायेगी और भविष्य में किसी लेखीय विरोध अथवा विवाद उत्पन्न न हो इसलिए तहसीलदार का विचाराधीन आदेश स्थिर रखना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 01–6–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदिका को पक्षकार मानकर उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर